न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—172/2024

प्रार्थीः—

1. कानाराम पुत्र चतराराम
2. तुलछीदेवी पत्नी स्व. चतराराम

   जाति कलबी निवासी टीकमपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

श्री कैलाशपुरी प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—15.10.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता/पति खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 471/147 रकबा 02.9466 हैक्टेयर ग्राम टीकमपुरा व खसरा संख्या 495/21 रकबा 03.2122 हैक्टेयर ग्राम मांगला तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता/पति के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड में उनके पिता/पति का वास्तविक नाम चतराराम पुत्र जगमालराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम चतराराम पुत्र जगमाल राम के स्थान पर चतराराम पुत्र धनाराम लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता/पति [illegible] करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्रांक भू.अ./2025/2174 दिनांक 08.09.2025 द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने पिता/पति के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड आदि प्रस्तुत किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:44:42 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उनके पिता/पति का वास्तविक नाम चतराराम पुत्र जगमालराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का त्रुटिवश नाम चतराराम पुत्र धनाराम लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण के पिता/पति अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता/पति का शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड आदि दस्तावेजात में उनका नाम चतराराम पुत्र जगमालराम दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम चतराराम पुत्र जगमालराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टीकमपुरा के खसरा संख्या 471/147 रकबा 02.9466 हैक्टेयर व ग्राम मांगला के खसरा संख्या 495/21 रकबा 03.2122 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम चतराराम पुत्र धनाराम के स्थान पर 'चतराराम पुत्र जगमालराम उर्फ धनाराम' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:44:42 IST
Reason: SelfAttested